फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

फूलचंद बनाम राज0 सरकार

मु0नं0— 14/2025

किस्म मुकदमा— 136 एल.आर.ए.

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 100, 262, 291, 292 वाके ग्राम अम्बाडी तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 के शुद्ध नाम फूलचंद पुत्र हट्या की जगह मूलचंद पुत्र हट्या हि0 1/5 तथा प्रार्थी संख्या 2 के शुद्ध नाम रामकिशोर पुत्र हट्या की जगह पप्पू पुत्र हट्या हि0 1/5 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण के सही नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धी की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तहसीलदार बहरावण्डा से प्रकरण में जवाब स्टेट तलब किया गया। बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान किया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थी अधिवक्ता का मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत गढोरा के लैटरपैड अनुसार फूलचंद एवं मूलचंद एक ही व्यक्ति है जिसका सही नाम फूलचंद है तथा पप्पू एवं रामकिशोर भी एक ही व्यक्ति है जिसका सही नाम रामकिशोर है। अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड इत्यादि का अवलोकन किया गया, जिनमें भी प्रार्थीगण का नाम फूलचंद एवं रामकिशोर ही दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मूलचंद पुत्र हट्या की जगह फूलचंद पुत्र हट्या तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम पप्पू पुत्र हट्या की जगह रामकिशोर पुत्र हट्या दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	